

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 37/2024

रजू दिनांक:- 24.04.2024

पीठारीन अधिकारी:- पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. अतुल राजावत पुत्र स्व0 वैधनाथसिंह
 2. राहुल राजावत पुत्र स्व0 वैधनाथसिंह
 3. शारदा राजावत पत्नि स्व0 वैधनाथसिंह
- समस्त जातियान राजपूत निवासी संग्रासिंह कालोनी सी-स्कीम जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति:- श्री हसराम गूर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक:- 23.12.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जो हाल जमाबन्दी सम्वत 2076-79 से भली भौति साबित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काविज काश्त है। ख0न0 261 साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 मिन से बने हैं। साबिक ख0न0 जमाबन्दी सम्वत 2038-41 में किस्म बाराजी दर्ज है, परन्तु दौराने सेटलमेन्ट की गलती से बिना किसी अधिकार आदेश के उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज कर दी है। जबकि उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार का नाला नहीं है। नाही पूर्व में रहा है परन्तु सेटल मेन्ट कर्मचारियों ने गलत तरीके से बिना मौका देखे ही गै0मु0 नाला दर्ज कर दी है जिसको दुरुस्त करके पूर्व की स्थिति किस्म बारान-2 दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

यह है कि हाल रिकार्ड जमाबन्दी में गलत किस्म दर्ज होने के बारे में प्रार्थीगण को पता चला तो प्रार्थीगण ने दिनांक 15.03.2024 को तहसीलदारजी टोडाभीम से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। आप न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम के यहा दुरुस्ती के आदेश लेकर आओ इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 स्थित ग्राम गहरौली की किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर किस्म बारानी-2 दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दरमादे करने के आदेश फरमाये जावे।



(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज रिकार्ड है। साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 मिन से नवीन ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 बना है। ख0न0 261 के विभाजन हो जाने के पश्चात ख0न0 261, 261/531, 161/564 बनाये गये है। ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 किस्म गै0मु0नाला मे अतुल राजावत, राहुल राजावत पि0 बैधनाथसिंह हिस्सा 2/3, शारदा पत्नि बैधनाथसिंह हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्मत 2038-41 मे साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 की किस्म बारानी-2 दर्ज थी, लेकिन भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज कर दी गई है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी मे ख0न0 261/531/0.18, 261/564/0.07 है0 की किस्म बारानी दर्ज है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी मे आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज है। अतः ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 की किस्म गै0मु0नाला से बारानी-2 दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 मे प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। जो साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 मिन से बने है। साबिक जमाबन्दी सम्मत 2038-41 मे साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 की किस्म बारानी दर्ज है, परन्तु दौराने सेटलमेन्ट की गलती से बिना किसी अधिकार आदेश के उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज कर दी है। जबकि उक्त भूमि मे मौके पर किसी प्रकार का नाला नही है। नाही पूर्व मे रहा है परन्तु सेटल मेन्ट कर्मचारियो ने गलत तरीके से बिना मौका देखे ही गै0मु0 नाला दर्ज कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 स्थित ग्राम गहरौली की किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर किस्म बारानी-2 दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज रिकार्ड है। साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 मिन से नवीन ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 बना है। ख0न0 261 के विभाजन हो जाने के पश्चात ख0न0 261, 261/531, 161/564 बनाये गये है। ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 किस्म गै0मु0नाला मे अतुल राजावत, राहुल राजावत पि0 बैधनाथसिंह हिस्सा 2/3, शारदा पत्नि बैधनाथसिंह हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्मत 2038-41 मे साबिक ख0न0 166, 167, 168, 169 की किस्म बारानी-2 दर्ज थी, लेकिन भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज कर दी गई है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी मे ख0न0 261/531/0.18, 261/564/0.07 है0 की किस्म बारानी दर्ज है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी मे आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज है। अतः ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 की किस्म गै0मु0नाला से बारानी-2 दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम गहरौली की जमाबन्दी सम्मत 2076-79 मे आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 मे अतुल राजावत पुत्र बैधनाथसिंह हिस्सा 1/3, राहुल राजावत पुत्र बैधनाथसिंह हिस्सा 1/3, शारदा राजावत पुत्र बैधनाथसिंह हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे




(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी

शामिल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 अनुसार ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 साबिक ख0न0 169 मिन से बनना साबित है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2038-41 मे साबिक ख0न0 169 मिन. की किस्म बारानी-2 दर्ज रिकार्ड है जिसमे मोतीसिंह, भवानीसिंह, शम्भूसिंह बैधनाथसिंह पि0 नवलसिंह जाति राजपूत हि.ब. के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल उनवान योगीराज बर्फानी बनाम तहसीलदार टोडाभीम मे न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 मे नवीन ख0न0 261/564/0.07, 261/531/0.18 है0 की किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर बारानी-2 दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। तहसीलदार टोडाभीम पैरोकार सरकार ने भी अपने जबाब/रिपोर्ट व बहस मे ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 की साबिक रिकार्ड अनुसार किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर बारानी-2 दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 261 रकवा 0.09 है0 मे दर्ज किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर बारानी-2 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Handwritten Signature)

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला, राजापुर, सिद्धी
दाहाभीम, जिला अजमेर, सिद्धी